अ.शा.डीजी परिपत्र संख्या- 40/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः जुलाई 24,2013

प्रिय महोदय,

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम-2003 के नियम-4 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मा0 बाम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 में स्थगन आदेश पारित किया था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Health for Million Vs Union of India &Ors, याचिका के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेश को दिनांक 3.1.2013 को संशोधित करते हुए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये है, जिसके मुख्य प्राविधान इस प्रकार हैं:-

- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय से सम्बन्धित **प्रत्येक दुकान या गोदाम** के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा जो ऐसी जगह लगा हो जहाँ वह प्रत्येक ग्राहक को दिखाई दे। प्रदर्शित किये जाने वाले बोर्ड का आकार 45x60 सेमी0 का होना चाहिए। बोर्ड का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।
- दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार प्रत्येक बोर्ड पर भारतीय भाषा में ऊपर की तरफ 15x20 सेमी0 के स्थान में निम्न विवरण के अनुसार लिखा जायेगा:-
  - i- तम्बाकू कैंसर का कारण है, या
  - ii- तम्बाकू जानलेवा है।
- स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेष चेतावनी साफ पठनीय काले अक्षरों में सफेद पृष्ठ भूमि पर अंकित की जानी चाहिए।
- डिस्पले बोर्ड पर उपलब्ध तम्बाकू उत्पादों का सिर्फ नाम अंकित किया जायेगा। बोर्ड पर उत्पाद का ब्रांड नाम, उसका विवरण व उसके प्रचार हेतु कोई संदेश या चित्र बोर्ड पर नहीं दिखाया जायेगा। प्रचार बोर्ड पर विशेष तौर से प्रकाश की व्यवस्था आगे या पीछे से न हो।

उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

24.7.13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि-संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रदर्शित किये जाने वाले बोर्ड का प्रारूप

तम्बाकू जानलेवा है।

15 से0मी0

20 से0मी0

45 से0मी0

सिगरेट
बीड़ी
सिगार

चबाने वाली तम्बाकू व
सूंघने वाली

60 से0मी0